

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूजाईडी संख्या: UPFS/2020/16032/SLP/SULTANPUR/166/CFO

दिनांक: 20-08-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **MILLENNIUM WORLD SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **130 132 134M 131KA 129M 127 126M 131KH 125, PAYAGIPUR, SULTANPUR** तहसील - **SADAR**, प्लॉट एरिया **7830 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **6426.28** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

| ब्लॉक/टावर              | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेंट की संख्या | ऊँचाई    |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| MILLENNIUM WORLD SCHOOL | 4                                 | 1                 | 14.5 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **MILLENNIUM WORLD SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **22-08-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SUSHIL KUMAR TRIPATHI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **22-08-2024** से **22-08-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **MILLENNIUM WORLD SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **MILLENNIUM WORLD SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** भवन में ढाँचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लो राईज भवनों एवं मिक्स आक्यूपेन्सी की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-2022/905(34) /2016 टी0सी0 दिनांक: 07.01.2022 के दिशा निर्देशों व एन0बी0सी0-2016 का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। बिजली की वायरिंग, मैन पैनल एवं बिजली के लोड इत्यादि से सम्बन्धित समय-2 पर विद्युत विभाग से निरीक्षण कराकर विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अतिआवश्यक है। भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने की जिम्मेदारी भवन प्रबन्धन की होगी तथा भवन के ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था हेतु सम्बन्धित विभाग से प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अस्तित्व पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(SANJAY SHARMA)

[78010AB10BCCF86453A7F5906114F8563C44F922]

22-08-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-08-2024  
स्थान : SULTANPUR